नाप-तौल उपकरणों के विक्रेता के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में आवेदन

(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)

चरण-1	**आवेदन कब करें ?** नाप-तौल उपकरणों के विक्रेता के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करना हो।
चरण-2	**आवेदन कौन कर सकता है ?** विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 2 में परिभाषित विक्रेता की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति विवरण निम्नानुसार है – *"dealer", in relation to any weight or measure, means a person who, carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing any such weight or measure, whether for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration; and includes a commission agent, an importer, a manufacturer, who sells, supplies, distributes or otherwise delivers any weight or measure manufactured by him to any person other than a dealer;*
चरण-3	**आवेदन प्रपत्र** मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची- एक (**Schedule-I**) में प्रपत्र निर्धारित है

आवेदन का उद्देश्य	हिन्दी में प्रपत्र	अंग्रेजी में प्रपत्र
नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु	प्रारूप ठ घ - 1	**L D - 1**

चरण-4	**अ- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)** **1-** परिसर का क्षेत्रफल वर्ग मीटर दर्शाते हुए परिसर के संबंध में अभिलेख एवं उसके विवरण के संबंध मे घोषणा पत्र एवं सहमति पत्र { *परिशिष्ट -1 अनुसार* } **2-** नाप-तौल उपकरण निर्माता/ निर्माता द्वारा अधिकृत विक्रेता से आवेदनकर्ता का एग्रीमेन्ट एवं निर्माता तथा निर्माता द्वारा अधिकृत विक्रेता की अनुज्ञप्ति (यदि अधिकृत विक्रेता से अनुबंध किया है तो) की छायाप्रति ।

चरण-5	**आवेदन के साथ शुल्क ?** आवेदन के साथ मध्य प्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, **2011** की अनुसूची-चार में निर्धारित शुल्क **|** जो की वर्तमान में रुपये **500** है **|**
चरण-6	**शुल्क कैसे जमा करें ?** ऑन लाईन आवेदन करते समय उपलब्ध Link से
चरण-7	**आवेदन कैसे करें ?** ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक ------ **STEP -1 :** http://mpedistrict.gov.in/Public/citizen_login.aspx?param=fK9rkKlRNa0= Link पर Click करें.
चरण-8	**अनुमोदन की समय-सीमा ?** ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में – • नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति - **30** कार्य दिवस के अंदर
चरण-9	**नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति आवेदक कैसे प्राप्त करेगा ?** STEP-1 : http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें. STEP-2 : इसके पश्चात पंजियन आवेदन खोजें पर click करे.
चरण-10	**अपीलीय अधिकारी:-** **नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश भोपाल** अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा ।
चरण-11	**डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:-** STEP-1 : http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें. STEP-2 : डिजीटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जांचे पर click करे .

Annexure -1

Self Declaration -Cum-Consent Letter

I / We..... ..... is/are an applicant to get new dealer license for measuring weighing instruments under Madhya Pradesh Legal Metrology Rules 2011.

The details of location where dealing and storage of these instruments/equipments will be done is as follows:-

1) Name and complete address of the premise (along with landmark) ....
2) Total area of the premise ..... In Sqm.
3) Name and complete address of Land owner..... .....

I am ..... years old and my highest educational qualification is ....., Bank Account No. ..... IFSC code ..... Bank Name ..... Branch name ..... Mobile No. .....

I have read and agreed to the terms and conditions of dealer license under Madhya Pradesh Legal Metrology Rule 2011.

I hereby declare that: -

1) I will maintain and update daily information related to various dealing activities.
2) I will present monthly statement in prescribed format (MP Legal metrology Rules, 2011) to concerned inspector (legal metrology) by 5th of every month.
3) I will maintain daily log register in prescribed format and will regularly update manufacture / sale data.
4) I will display dealer license at suitable location in my premise.
5) I will maintain and update Cash Memo Book on day to day basis separately for each purchased/sale item.
6) I will follow all departmental rules & orders as and when updated from time to time.
7) I will present all the requisite register/records to Controller/Deputy Controller / Assistant Controller / Inspector Weights & Measures as and when desired by the competent authority.
8) The dealing and storage activity does not take place at any other location / premise except mentioned above.
9) I will comply with inquiry or verification/stamping by concerned metrology inspector as per rules and regulations.
10) There are no running legal cases against me for any financial fraud pending in any court.

I hereby declare that all the information furnished above are true to best of my knowledge and belief.

Date..... Applicant Signature

Place.....

परिशिष्ट-1

विक्रेता अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ घोषणा-सह-सहमती पत्र

मैं/हम..... मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम 2011 के अन्तर्गत बने नियमों के तहत नाप तौल उपकरणों हेतु नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक हूं ।

इन समस्त उपकरणों का विक्रय व संग्रह प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित स्थान, जिनका विवरण निम्नानुसार है मैं करूंगा/करेंगे।

1. स्थान का नाम व पता जहां बांट, माप एवं माप तौल यंत्र उपकरण का विक्रय व संग्रह किया जावेगा .....
2. इस स्थान का उपयोग योग्य क्षेत्रफल वर्गमीटर मे .....
3. स्थान स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता .....

.....

मेरी उम्र ..... वर्ष है, मेरी शैक्षणिक योग्यता ..... है, मेरा खाता क्रमांक ..... IFSC कोड ..... बैक का नाम ..... शाखा नाम ..... मोबाइल नंबर ..... है ।

मै/हम यह घोषणा करता हूं/करते है कि स्थानीय निरीक्षक द्वारा नियमानुसार जांच व उपकरणों के सत्यापन/मुद्रांकन करूंवाउंगा/करवाएंगे ।

मै/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध/आर्थिक अपराध का प्रकरण कही भी पंजीबद्ध नही हैं।

1. मैं स्वयं विक्रय से संबंधीत प्रक्रिया की जानकारी अद्यतन एवं संधारण करूंगा/करेंगे।
2. मै प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जानकारी प्रतिवेदन निरीक्षक विधिक मापविज्ञान (नाप-तौल) को प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
3. मै पंजी निर्धारित प्रारूप मे रखूंगा तथा स्वयं ही विक्रय की नियमित पूर्ण पूर्ति करूंगा/करेंगे।
4. मै अनुज्ञप्ति संस्थान पर सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित करूंगा/करेंगे।
5. मै नाप-तौल उपकरणों के विक्रय हेतु कैश मेमो बुक पृथक से छपी रखूंगा एवं कैश मेमो मैं पूर्ण विवरण दूंगा/दैंगे।
6. मै समय-समय पर दिये गये आदेशों का पालन करूंगा/करेंगे।
7. मै समस्त अभिलेख नियंत्रक /उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक/ निरीक्षक विधिक मापविज्ञान (नाप-तौल) द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
8. मै/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते है कि विक्रय व उपकरणों का संग्रह उपर दर्शाए गए स्थान के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान पर नहीं करूंगा/करेंगे ।
9. मै/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते है कि स्थानीय निरीक्षक द्वारा नियमानुसार जांच व उपकरणों के सत्यापन/मुद्रांकन की प्रक्रिया का पालन करूंगा/करेंगे ।
10. मै/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध / आर्थिक अपराध का प्रकरण कही भी पंजीबद्ध नही हैं।

मै/हम प्रमाणित करता हूं/करते है कि उपरोक्त विवरण सही है जहां पर मेरे/हमारे द्वारा बांट माप तौल उपकरण आदि रखे जावेगें

स्थान..... हस्ताक्षर आवेदक/आवेदकगण

दिनांक.....

प्ररूप ठ घ –1
(नियम 9 (1) देखिये)

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांट तथा माप के व्यापारी के रूप में अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

प्रति, ...
.....
.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति चाहने वाली स्थापना/दुकान/व्यक्ति का नाम.	
2.	स्थापना आदि का पूरा पता.	
3.	स्थापना की तारीख.	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का/के नाम और पता (पते).	
5.	चालू दुकान/स्थापना/नगर पालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और तारीख.	
6.	वर्तमान में विक्रीत/विक्रय हेतु प्रस्तावित बांट और माप के वर्ग.	
7.	वेट / केन्द्रीय विक्रय कर /वृत्तिकर / आयकर का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
8.	क्या आप बांट आदि का राज्य/देश के बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते है ? यदि हां, तो उनकी पूर्ति के स्त्रोत बताइए. (विनिर्माता के व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम और उसका अनुज्ञप्ति क्रमांक के ब्यौरे दीजिए ; और (क) बांटों तथा मापों के आयातक का रजिस्ट्रीकरण, यदि कोई हो ; (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में आयात किये जाने वाले माडल का अनुमोदन उपलब्ध करवाएं.	
9.	क्या आपने पूर्व में इस राज्य में या अन्यत्र व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है ? यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए ?	

आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम नियत अनुज्ञप्ति फीस, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर, शासन को शीघ्र जमा कराने के लिये सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

स्थान : तारीख :	..... हस्ताक्षर और पदनाम

Form L D-1

[See rule 9 (1)]

Application Form for Licence as Dealer in Weights & Measures under the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

No.	To be filled by the Applicant		Comments of the inspection officer
(1)	(2)		(3)
1.	Name of the establishment/shop/person seeking the licence.		
2.	Complete address of the establishment etc.		
3.	Date of establishment.		
4.	Name (s) and address (s) of proprietors and / or partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.		
5.	Number and date of Registration Number of current shop/establishment/Municipal Trade licence.		
6.	Categories of weights and measures sold/proposed to be sold at present.		
7.	Registration Number of VAT / CST / Professional Tax / Income Tax.		
8.	Do you intend to import weights, etc. from places outside the State / Country? If so indicate sources of supply. (Give details of manufacturer's trade mark / monogram and his licence number) and provide (a) Registration of Importer of Weights and Measures, if any (b) Approval of model imported into India by Central Government.		
9.	Have you applied previously for a dealer's licence, either in this State or elsewhere? If so give details?		

To be certified by the applicant(s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

I / We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licensing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my / our knowledge.

Place : Date :	Signature and Name

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक:- 34.15

आवेदन द्वारा नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये आवेदन पत्र पर नाप–तौल (विधिक मापविज्ञा), विभाग द्वारा परीक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट :–

आवेदन द्वारा वेबसाइट www.mpedistrict.gov.in के द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुस्त किया गया आवेदन पत्र

↓

ऑनलाइन प्राप्त आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों का परिक्षण किया जाना	समय सीमा 5 दिवस

↓

निरीक्षक को अनुज्ञप्ति स्थल पर जाकर निरिक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया जाना	समय सीमा 5 दिवस

↓

निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाना एवं निरीक्षण करने के उपरांत निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड / प्रस्तुस्त करना	समय सीमा 10 दिवस

↓

निरीक्षण रिपोर्ट का परिक्षण उपरांत आवेदन स्वीकृति योग्य पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नोटशीट व अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कर प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जो आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा	निरीक्षण रिपोर्ट के परिक्षण उपरांत आवेदन अमान्य होने की स्तिथि में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नोटशीट व अमान्य करने का कारण देते हुए आवेदन अस्वीकार किया जावेगा जो आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा
समय सीमा 10 दिवस	समय सीमा 10 दिवस

आवेदन निराकरण की कुल समय सीमा
30 दिवस